न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी— अभिमन्यु सिंह कुन्तल, आर0 ए0 एस0

मुकदमा नम्बर— राजस्व प्रार्थना पत्रः— 41 / 2022 दायर तारीखः—14.06.2022

मदनलाल पुत्र कल्याणदास स्वामी जाति स्वामी नि0 खिरवा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दी देवी पत्नि सीताराम
2. त्रिलोचना पत्नि रामनिवास स्वामी
3. मंजुदेवी पत्नि राधेश्याम स्वामी
   समस्त जाति स्वामी निवासीयान खिरवा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
4. गंगाराम पुत्र किशना जाट
5. बक्शाराम पुत्र किशनाराम जाट
6. मोहनलाल पुत्र किशनाराम जाट
7. हनुमानलाल पुत्र किशनाराम जाट
8. जमनादेवी पुत्री लुणाराम जाट
9. उदाराम पुत्र गोदाराम जाट
10. कमला पत्नि मंगलाराम जाट
11. किशनीदेवी पुत्री लुणा जाट
12. गंगादेवी पुत्री लुणा जाट
13. गोगली देवी पुत्री लुणा जाट
14. गोपाल पुत्र लुणा जाट
15. नान्छीदेवी पुत्री लुणा जाट
16. मंगला पुत्र भूराराम जाट
17. मांगू पुत्र लूणा जाट फोत जरियेः—
   17/1. छीतर पुत्र स्व.मांगू जाट
   17/2. रामसुख पुत्र स्व.मांगू जाट
   17/3. श्योकरण पुत्र स्व.मांगू जाट
   17/4. गोपाल पुत्र स्व.मांगू जाट
   17/5. झमरू पुत्री स्व.मांगू पत्नि भैरू जाट
   समस्त निवासीयान नटवाडिया की ढाणी पचकोडिया तहसील रेनवाल जिला जयपुर।
18. श्रवण पुत्र लूणा जाट
19. सुंदरीदेवी पुत्री लूणा जाट
20. सुवा पुत्र लुणा जाट
21. सेवाराम पुत्र गोदाराम जाट समस्त जाति जाट नि0 पचकोडिया तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर।
22. अजय जैन पुत्र प्रकाश जैन निवासी प्लाट न0ऐ 142 विधुत नगर कोठारी अस्पताल के सामने अजमेर रोड जयपुर।
23. ज्याना देवी पत्नि शंकरलाल जाति अहीर यादव नि0 नाहरी का बस हाथोज तह0 जयपुर जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

24. भोपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह राजपूत नि0 एस 93 शान्ति नगर हसनपुरा जयपुर तह0 जयपुर जि0 जयपुर।
25. शंकरलाल पुत्र गौरूनाथ अहीर यादव निवासी नाहरी का वस हाथोज तह0 जयपुर जि0 जयपुर।
26. प्रेमदेव पत्नि रामनाथ मीणा
27. अंकित पुत्र रामनाथ मीणा
28. अनोपदेवी पत्नि रामकिशन मीणा
29. एकता पुत्री रामनाथ मीणा
30. बजरंगलाल पुत्र मांगीलाल मीणा
31. ममता पुत्री रामकिशन मीणा
32. मालीराम पुत्र रामचन्द्र मीणा
33. शिवपाल पुत्र रामनाथ मीणा
34. संतरादेवी पुत्री रामनाथ मीणा
35. सुनिता पुत्री रामनाथ मीणा
36. सुभाष पुत्र मालीराम मीणा

समस्त जाति मीणा निवासीयान खिरवा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

37. सुंदरदेवी पत्नि मिठ्ठूराम मीणा नि0 खिरवा हाल माचवा तह0 जयपुर जि0 जयपुर।
38. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. सुश्री तबस्सुम रंगरेज – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री हनुमान जाखड– अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1लगा03
3. सरकार पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

निर्णय

दिनांक 30.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 425/42 रकबा 0.0632 है0, ख0न0 55 रकबा 0.4299 है0, ख0न0 73 रकबा 0.1770 है0 खं0न0 74/1 रकबा 0.2782 है0 किता 4 कुल रकबा 0.9483 है0 वाके ग्राम खिरवा, पटवार हल्का हिंगोनिया, गिरदावर हल्का हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात के पडोसी है जिनसे अक्सर सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थी ने अपनी आराजीयात का तहसीलदारजी जोबनेर के आदेश कंमाक भू0अ0/202/240 दिनांक 22/4/2022 की मे दिनांक 5/5/2022 को पटवारी हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थी सीमा संबंधी विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए नियमानुसार पत्थरगढी कराकर पुख्ता निशानात कायम करवाना चाहतक है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ है। ताकी सीमा संबंधी सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो जाये।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि0एडी0 नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 37 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17.05.2024 को जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 20.05.2024 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि ग्राम खीरवा के आराजी ख0नं0 425/42 रकबा 0.0632 हे0 ख0नं0 55 रकबा 0.4299 हे0, ख0नं0 73 रकबा 0.1770 हे0, ख0नं0 74/1 रकबा 0.2782 हे0 भूमि प्रार्थीगण मदनलाल पुत्र कल्याणदास जाति स्वामी के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1लगा03 जो प्रार्थी के खसरा नम्बरान के लगवा स्थित है। प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान हल्का पटवारी हिंगोनिया द्वारा दिनांक 15.05.2022 को कर दिया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन् किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा –111 व 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 425/42 रकवा 0.0632 है0, ख0न0 55 रकबा 0.4299 है0, ख0न0 73 रकबा 0.1770 है0 खंं0न0 74/1 रकबा 0.2782 है0 किता 4 कुल रकबा 0.9483 है0 वाके ग्राम खिरवा, पटवार हल्का हिंगोनिया तह0 जोबनेर का भूमि सीमा जानकारी के लिये भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मोमियाशीट/मदर मैप से पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक हिंगोनिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। नियमानुसार कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। कमिश्नर भू0अ0नि0 हिंगोनिया को पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जे की सुपुर्दगी करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करें। साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू०अ०नि० हिंगोनिया जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)

यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू०अ०नि० हिंगोनिया जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार जोबनेर को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर (ग्रामीण)